राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं.सं.-02/परी0-01(राज0)-48/2017-997

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक-25-09-20

कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जाने वाली Online विभागीय परीक्षा दिनांक-23.03.2020 से 30.09.2020 तक स्थगित रखी गयी है। उक्त मामले में सम्यक विचारोपरान्त सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाये रखने के अनिवार्य सरकारी निदेश का पालन करते हुए विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है परंतु पूर्व से प्रति पाली निर्धारित 70 स्लॉट को निरस्त कर 35 स्लॉट के साथ ही परीक्षा आयोजित किये जाने पर ही Social Distancing के Norms का अनुपालन संभव हो पायेगा।

अतः दिसम्बर 2020 तक बुक किये गये सारे स्लॉट निरस्त किया जाता है तथा इसके स्थान पर दिनांक-07.10.2020 से नये सिरे से प्रति पाली सिर्फ 35 स्लॉट की Booking प्रारम्भ की जाएगी। सामाजिक दूरी (Social Distancing) को दृष्टिगत रखते हुये Online विभागीय परीक्षा अगले आदेश तक निम्नांकित व्यवस्था के तहत की जाएगीः-

1. सप्ताह के प्रत्येक बुधवार, वृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को दो पालियों में अधिकतम 35-35 परीक्षार्थियों के लिए स्लॉट बुक किया जाएगा।

2. परीक्षा हॉल में प्रवेश करने वाले परीक्षार्थी मास्क, हाथ का दस्ताना (Hand Gloves), सैनिटाईजर एवं पीने का पानी के साथ परीक्षा में शामिल होंगे अन्यथा परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा।

3. परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर Thermal Screening Test की जाएगी तथा कोविड-19 के लक्षण पाये जाने वाले परीक्षार्थियो को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. परीक्षा प्रवेश पत्र में वर्णित शर्ते एवं दिशा निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगी।

केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद
के आदेशानुसार

25/9/2020
अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।